उत्तर प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

2493. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने गत वर्ष किन-किन आवश्यक वस्तुओं की कितनी मांग की ;

(ख) उनमें से कितनी वस्तुएं प्रति मास आवंटित की गई और प्रत्येक वस्तु कितनी-कितनी मात्रा में आवंटित की गई ; और

(ग) वर्ष 1988 के दौरान और कौन-कौन सी वस्तुएं और कितनी-कितनी मात्रा में आवंटन किये जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) और (ख). सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के तहत केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सात आवश्यक वस्तुएं, अर्थात् गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिटटी का तेल, कंट्रोल का कपड़ा तथा साफ्ट कोक सप्लाई करती है । विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इन वस्तुओं के आवंटन का निर्णय, केन्द्रीय पूल में उपलब्ध इनके स्टाक, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आवश्यकताओं, विगत में उठाई गई तथा अन्य संबंधित बातों के आधार पर समय-समय पर किया जाता है, केवल प्राप्त हुई मांग के आधार पर नहीं । ये आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सम्पूर्ण मांग को पूरा किये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है ।

2. पंचांग वर्ष 1987 के दौरान उत्तर प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन सूचित करने वाला एक विवरण संलग्न है [देखिए परिशिष्ट CXLV अनुपत्र सं० 94]

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की मौजूदा सूची में किसी और वस्तु को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र किसी भी अन्य वस्तु को जिसे वे आवश्यक समझते हों, प्रणाली के तहत शामिल करने के लिए स्वतन्त्र हैं। ऐसी वस्तुओं की वसूली तथा वितरण का प्रबंध उन्हें स्वयं करना होगा ।

बिहार में पम्पसेटों के लिए ऋण दिया जाना

2494. **श्री अशोक नाथ वर्मा :** क्या **कृषि** मंत्री 7 अगस्त, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1423, 1424, 1425 और 1426 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सभी जिलों में किन बैंकों और भूमि विकास बैंकों द्वारा किस-किस ब्राण्ड के डीजल एवं विद्युत् पम्पसेट, पाइप तथा स्ट्रेनरों का भुगतान किया गया और किस दर पर किया गया, क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई यदि हां, तो ससका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (लघु, सीमान्त कृषक एजेंसी) द्वारा विभिन्न ब्रांडों के पम्पसेटों, पाइपों, स्ट्रेनरों तथा अन्य सामानों के लिए जिलेवार क्या दर निर्धारित की गई थी ; और

(ग) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किस-किस बैंक के माध्यम से किस ब्रांड के लिए कितना भुगतान किया गया और भुगतान में अन्तर के क्या कारण थे ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). इस प्रश्न में पहले के उल्लिखित अतारांकित प्रश्न 9 दिसम्बर,